भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 463
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार 7 फरवरी, 2019 को दिया जाना है

बिजली चालित वाहनों का विनिर्माण

463. श्री परिमल नथवानीः

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 2030 तक देश के सभी वाहनों को बिजली से चलाने की योजना है और यदि हां. तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में बेचे गए बिजली चालित वाहनों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में ऐसे वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) वर्ष 2030 तक देश में सभी वाहनों को बिजली से चलाने के लिए इस समय भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) चूंकि ऑटोमोबाइल क्षेत्र एक उदारवादी क्षेत्र है, भारी उद्योग विभाग द्वारा वाहनों के विनिर्माण से संबंधित आंकड़े रखने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, फेम-इंडिया योजना के तहत मांग प्रोत्साहन के माध्यम से अभी तक 2,65,246 हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों (एक्सईवी) की सहायता की गई है।

(ग) नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना 2020 (एनईएमएमपी) के भाग के रूप में भारी उद्योग विभाग ने दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से कार्यान्वित करने हेतु एक फेम-इंडिया योजना [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण] अधिसूचित की है। इस समय स्कीम का चरण-I कार्यान्वयन के अधीन है, जो मूल रूप से दिनांक 31 मार्च, 2017 तक दो वर्ष की अवधि के लिए था, लेकिन इसे आगे दिनांक 31 मार्च, 2019 तक बढ़ा दिया गया है। इस स्कीम के चार फोकस क्षेत्र है, नामतः मांग सृजन, प्रायोगिक परियोजना, प्रौद्योगिकी विकास/अनुसंधान एवं विकास और चार्जिंग अवसंरचना।

इस स्कीम के माध्यम से एक्सईवी के व्यापक अंगीकरण को समर्थ बनाने के लिए इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों के खरीदारों को खरीद मूल्य में छूट के रूप में मांग प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

नई जीएसटी प्रणाली के तहत, इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर को पारंपरिक वाहनों के लिए 22 प्रतिशत तक उपकर के साथ 28 प्रतिशत जीएसटी दर की तुलना में 12 प्रतिशत (कोई उपकर नहीं) के निचले स्तर पर रखा गया है।

*****